प्र.क्र. 139/2022

बृजलाल बनाम भागीरथ

8/8/24

पत्रावली पेशी मे ली गई। प्रार्थी बृजलाल आदि द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत
धारा 251 ''ए'' इस न्यायालय मे दिनांक 13.06.2024 को पेश कर निवेदन
किया कि प्रार्थीगण के नाम चक नम्बर 29 एल.एल.डब्ल्यू. के खाता संख्या
65/61 पत्थर नम्बर 44/223 तादादी 3.706 हैक्टेयर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड
है अप्रार्थी संख्या 1 भागीरथ के नाम चक नम्बर 29 एल.एल.डब्ल्यू. के खाता
संख्या 70/23 मे 5 बीघा मय रास्ता दर्ज है प्रार्थीगण को अपने खेत मे
पहुचने का कोई रास्ता उपलब्ध नही है। इसलिए प्रार्थीगण को अप्रार्थी के
नाम दर्ज चक नम्बर 29 एल.एल.डब्ल्यू. के खाता संख्या 70/23 पत्थर
नम्बर 44/223 (50) के किला नम्बर 2/1 व 9 की पूर्वी सिव पर 2–2
बिस्वा रास्ता स्वीकृत फरमाया जावे। ताकि प्रार्थीगण अपने खेत म पहुच
सके। अप्रार्थी को तलब किया गया। जरिये अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थित
आया व जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता
कभी भी चालू नही रहा है. प्रार्थीगण के निकटतम रास्ता पत्थर नम्बर
43/223 किला नम्बर 5, 6 के पूर्वी सिव पर उत्तर से दक्षिण पड़ता है जो
प्रार्थीगण के लिए उपयुक्त रास्ता है। प्रार्थना पत्र के उचित निर्णय हेतु
तहसीलदार हनुमानगढ़ से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार हनुमानगढ़ के
पत्र कमाक संख्या 5086 दिनांक 12.07.2022 द्वारा अवगत करवाया गया कि
प्रार्थीगण के निकटतम रास्ता पत्थर नम्बर 44/223 (50) किला नम्बर 1 ता
5 है जो गैरमुमकिन रास्त दर्ज रिकॉर्ड है तथा प्रार्थीगण को वर्तमान मे कोई
रास्ता उपलब्ध नही है जो किया जाना है इसलिए आवेदिक रास्ते के अलावा
विकल्प नही है। प्रार्थीगण पत्थर नम्बर 44/223 (50) किला नम्बर 2/1, 9
की पूर्वी सिव पर उत्तर से दक्षिण 2–2 बिस्वा रास्ता चाहते है। मौके पर
बुलाने पर भी न तो प्रार्थीगण उपस्थित आए. और न ही अप्रार्थी संख्या 1
उपस्थित आए।

अतः उभयपक्ष कि बहस सुनी गई। पत्रावली व पत्रावली पर मौजूदा
दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि प्रार्थी के
प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र से यह साबित होता है। कि प्रार्थीगण को
वास्तव मे अपने खेत मे पहुचने का रास्ता नही है जो सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु
है. अप्रार्थी के नाम 5 बीघा भूमि है जो लघू कृषि श्रेणी मे होने के कारण
गैरमुमकिन रास्ता कायम कर भूमि कम किया जान भी न्यायासंगत नही
होगा इसलिए आदेश दिया जाता है कि चक नम्बर 29 एल.एल.डब्ल्यू. के
पत्थर नम्बर 44/223 (50) किला नम्बर 2/1, 9 पूर्वी सीव पर उत्तर से
दक्षिण 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता है। उक्त रास्ते की एवज मे
आर.टी.ए. (सरकारी) नियम 1955 के अन्तर्गत प्रार्थीगण के नाम दर्ज पत्थर
नम्बर 44/223 (50) किला नम्बर 11 जो अप्रार्थी के चिपता है. मे से रकबा
गणना कर कम किया जावे व अप्रार्थी भागीरथ के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड
मे किया जावे। इसी अनुसार अप्रार्थी को खातेदार काश्तकार घोषित कर
तहसीलदार हनुमानगढ ... कि किसी सक्षम
न्यायालय का स्थगन या न्यायिक विवा... 251 ''ए'' के तहत उक्त
मंजूरशुद्धा रास्ता का ... रास्ता के रूप मे
अमलदरामद किया जावे ... अपना वहन करे ... य
आज दिनांक 8.08.2024 को खुले न्यायाल... सुनाया गया। पत्राव... र
से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2024.08.25 21:28:55 IST
Reason: SelfAttested

Divya

सहायक कलक्टर
एवं उपखण्डाधिकारी
हनुमानगढ